

A 1.6.12

क्षेत्र के अन्तर्गत

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम - एस०सी० पी० के अन्तर्गत बागेश्वर में बनलेख
मडियार-गवातेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-~~बागेश्वर~~ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित S.C.P. परियोजना के निर्माण हेतु 4.4.10 हे० वन भूमि ~~बागेश्वर~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति मडियार तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।



तहसीलदार
बागेश्वर
C 2519113

हो/-
जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर


छाया प्रति प्रमाणित
साहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकाट

A 7.6.13

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार- गवातोली मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी0) नव निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू-स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।



आधिसूचना अभियन्ता
निर्माण सड़क लो0पी0वि0
कपकोट (बागेश्वर)
कपकोट


जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार-गवातोली मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी0) नव निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार-गवातोली मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 4.410 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार-गवातोली मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी0) नव निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार-गवातोली मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 4.410 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला अधिकारी
बागेश्वर

A 1.6.16

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 16-02-2015 at time 3:50pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Maudiyar- Gwatoli** area measuring **4.410** hect for the Construction of **Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road (12.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:


Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

A 1.6.17

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

No.....

Dated.....

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.850** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road (12.00km) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.410** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated

(Bhupal Singh Manral)
District Collector
Seal

(Full name and official seal of the District Collector)